में दर्ज घड़सी पि. नारणा के बजाय शंकरलाल पुत्र नारायण दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि उक्त वर्णित भूमि में घड़सी पि. नारणा का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है अतः भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती की जावे। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। शेष स्वतः दुरुस्त रहेगा।

प्रमावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.5.18 को कैम्प कोर्ट झुन्झुनूं में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner